न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग
व इजलास श्री दिनेश शर्मा आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 11/2023
1— सैफ पुत्र आसीना जाति मेव निवासी ढाना तहसील कामां जिला डीग
प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (डीग)
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा०भू०अ०

निर्णय

दिनांक :— 28.08.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू०रा०अ० अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12, हैक्टर वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां में स्थित है । जो कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है । जिस पर आज भी प्रार्थी बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा संख्या 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12, हैक्टर वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां का हाल जो नजरी नक्शा बनाया गया है वह नक्शा पूर्व के कब्जेधारी व्यक्तियों के एवं हाल प्रार्थी के मौका व कब्जा के विपरीत बनाया गया है जो कि कतई गलत खिलाफ कानून खिलाफ मौका व कब्जा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पटवारी हल्का से हाल नकल जमाबन्दी व हाल नक्शा ट्रेस की लेने से हुई । विधि वजह प्रार्थी जरिये अदालत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा संख्या 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12, हैक्टर वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामा के बनाये गये नक्शा को प्रार्थी हाल मौका व कब्जा के मुताबिक दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूप्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12, हैक्टर वाके ग्राम सुन्हेरा तहसील कामां के बनाये गये नक्शा को प्रार्थी के हाल मौका व कब्जानुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । जबाव पेश किया कि जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है —

प्रार्थी सैफ पुत्र आसीना जाति मेव निवासी ढाना तहसील कामा नाबालिग जरिये बलीसरपरस्त हारूनी पत्नी आसीना जाति मेव निवासी ढाना तहसील कामां ने ग्राम सुन्हेरा के हाल आराजी खसरा नम्बर 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12 की नक्शा में मौका कब्जानुसार शुद्धि चाही है । जिसमें पटवारी हल्का सुन्हेरा की राजस्व रिकार्ड व मौका अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है —

1—साविक खसरा नम्बर 534 के भूप्रब न्ध विभाग द्वारा 633, 634, 635, 533/2475 नये बनाये गये है ।

2—साविक खसरा नम्बर 411/0.21, का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल 533/0.21 बनाया गया है ।

3—'खसरा नम्बर 534 के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नम्बर 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12, 635/0.12 बनाये गये हैं, परन्तु नवीन नक्शा शीट में आराजी खसरा नम्बर 633, 634, 635 साबिक खसरा नम्बर 534 के स्थान पर दर्शाये गये है । आराजी खसरा नम्बर 533/2475 इन खसरो से लगभग 1 किलोमीटर दर्शाया गया है ।

4—आराजी खसरा नम्बर 533/2475 साविक 534 नम्बर से बना है । परन्तु मौके पर साविक खसरा नम्बर 411 का हाल नम्बर 533 बनाया गया है ।

5—भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नम्बर 533/2475 को नवीन नक्शा सीट में साविक खसरा नम्बर 411 एवं हाल खसरा नम्बर 533 में दर्शाया गया है ।

6—आराजी खसरा नम्बर 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12 पर सैफ पुत्र आसीना जाति मेव निवासी ढाना बलीसरपरस्त माता खुदहारूनी पत्नि आसीना जाति मेव खातेदार दर्ज रिकार्ड है । तथा आराजी खसरा नम्बर 635 पर सन्नी पत्नी नूरमौहम्मद जफरू, साहिद तालिम वगैराह खातेदार दर्ज रिकार्ड है । [illegible]
है मौका [illegible]

/ /

नूरमौहम्मद जफरू, साहिद तालिम वगैराह खातेदार एवं खसरा नम्बर533 के बाद 533/2475 सैफ पुत्र आसीना है मौका व कब्जानुसार स्थिति निम्न प्रकार से है :-के0पी0ड्रेन के बगल में 633 व 635 उसके साथ 533/2475 व 634 दर्शाया गया है । मौका व कब्जा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 533 व 533/2475 के मध्य की मेड कलमजन कर नक्शा में मौका अनुसार आराजी खसरा नम्बर 533/2475 को आराजी खसरा नम्बर 633 के दक्षिण में तथा 634 के पश्चिम दिशा में दर्शाया जाना उचित है । प्रार्थी के अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074-2077, 2068-2071 नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त नक्शा ट्रेस नकल मिलान क्षेत्रफल सलग्न किया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया तहसीलदार कामां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौका नक्शा के अनुसार मौका व कब्जानुसार स्थिति इस प्रकार से है :-के0पी0ड्रेन के बगल में 633 व 635 उसके साथ 533/2475 व 634 दर्शाया गया है । जबकि बन्दोबस्त विभाग द्वारा हाल आराजी खसरा नम्बर 533/2475 को नवीन नक्शा सीट में साविक खसरा नम्बर 411 एवं हाल खसरा नम्बर 533 में दर्शाया गया है । आराजी खसरा नम्बर 533/2475/0.13, 633/0.12, 634/0.12 पर सैफ पुत्र आसीना जाति मेव निवासी ढाना बलीसरपरस्त माता खुदहारूनी पत्नि आसीना जाति मेव खातेदार दर्ज रिकार्ड है । तथा आराजी खसरा नम्बर 635 पर सन्नी पत्नी नूरमौहम्मद जफरू, साहिद तालिम वगैराह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौका नक्शानुसार के0पी0ड्रेन नहर के बगल में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 635 पर सन्नी पत्नी नूरमौहम्मद जफरू, साहिद तालिम वगैराह खातेदार एवं खसरा नम्बर 533 के बाद 533/2475 सैफ पुत्र आसीना है । शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को स्वीकार किया जाता है मौका नक्शा के अनुसार हाल के0पी0ड्रेन के बगल में 633 व 635 उसके साथ 533/2475 व 634 दर्शाया गया है । मौका व कब्जा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 533 व 533/2475 के मध्य की मेड कलमजन कर नक्शा में मौका अनुसार आराजी खसरा नम्बर 533/2475 को आराजी खसरा नम्बर 633 के दक्षिण में तथा 634 के पश्चिम दिशा में दर्शाया किया जाकर शुद्वि किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी
कामां (डीग)